ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

बिल्टअप हाउसिंग योजना – BHS - 17 के आवंटियों के लिए आवश्यक सूचना

बिल्टअप हाउसिंग योजना - 17 के अन्तर्गत आवंटित भवनों के आवटियों को योजना के ब्रोशर में उल्लिखित शर्त एन – "N – The Possession is likely to be offered to the allotee within a period of three years from the date of issue allotment letter" के अनुसार आवंटन पत्र की तिथि से 3 वर्ष के भीतर कब्जा दिया जाना सम्भावित था, जोकि अपिहार्य कारणों से वर्तमान तक नही दिया जा सका है। इस सम्बन्ध में आपको भवन का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे है :-

1. सैक्टर ओमीकोन-1 एवं सैक्टर-12 के आवंटियों को **भवन का कब्जा माह जून,वर्ष 2018 में दिया जाना सम्भावित है।** दोनो सैक्टर्स के समस्त आवंटीगणों को कब्जा हेतु सम्भावित तिथि तक प्रतीक्षा करनी होगी तथा आवंटन के सापेक्ष समस्त प्रकार की देयता को नियमानुसार भुगतान करना होगा जिसमें किसी प्रकार की छुट अनुमन्य नही होगी। देयता के डिफाल्टर होने की दशा में ब्रोशर में उल्लिखित नियमों के आधार पर दण्डात्मक ब्याज की देयता होगी जिसकी प्रतिपूर्ति आवंटी को देनी होगी।
2. सैक्टर ओमीकोन-1A में **भवन का कब्जा माह जून वर्ष 2019 में दिया जाना सम्भावित है।** उक्त सैक्टर्स के समस्त आवंटीगणों को कब्जा हेतु सम्भावित तिथि तक प्रतीक्षा करनी होगी तथा आवंटन के सापेक्ष समस्त प्रकार की देयता को नियमानुसार भुगतान करना होगा जिसमें किसी प्रकार की छुट अनुमन्य नही होगी। देयता के डिफाल्टर होने की दशा में ब्रोशर में उल्लिखित नियमों के आधार पर दण्डात्मक ब्याज की देयता होगी जिसकी प्रतिपूर्ति आवंटी को देनी होगी।
3. उक्त तीनो सैक्टर्स (ओमीकोन-1 एवं सैक्टर-12 एवं ओमीकोन-1A) के आवटियों के पास यह विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है कि यदि वे प्राधिकरण से कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक प्रतीक्षा करने में असमर्थ है तो नियमतः ब्रोशर में उल्लिखित शर्त V-3 के तहत भवन के सापेक्ष जमा धनराशि पर 04 प्रतिशत साधारण बार्षिक ब्याज की दर से धनराशि वापस प्राप्त कर सकते है।

नोट :-

- **विन्दु संख्या – 03 में उल्लिखित व्यवस्था उन आवंटियों के लिये अनुमन्य नही होगी जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा ब्रोशर में उल्लिखित शर्तो के आलोक में निरस्त किया जा चुका हो।**
- **विन्दु संख्या – 03 में उल्लिखित व्यवस्था उन आवंटियों के लिये अनुमन्य नही होगी जिनके द्वारा मात्र पर्जीयन धनराशि ही जमा की गयी है तथा आवंटन के सापेक्ष वर्तमान तक किसी प्रकार की अन्य कोई धनराशि जमा नही की गयी है।**

प्रबन्धक (सम्पत्ति)